न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 126 **दायर दिनांक : 13.09.2019**

1. गजेन्द्र
2. राकेश

} पुत्रगण श्री जयलाल जाति जाट निवासी चक 31 आर.बी. फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

.....वादीगण

बनाम

1. जयलाल पुत्र श्री बुधराम जाति जाट (भादू) निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक वादी।
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक : 12/02/2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, अभिभाषक वादीगण उपस्थित राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया विचारण तथ्य पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है वादीगण द्वारा वाद पत्र घोषणात्मक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता जयलाल पुत्र श्री बुधराम जाति जाट के नाम से वाके चक 1 के.एस.पी.एम.ए. का खाता सं. 37 में प.न. 231/43 में कि.न. 3/0.228 है. 4/0.228 है. 5/0.203 है. 6/0.228 है. 7 ता 9/0.759 है. 10 व 11/0.456 है. 12 ता 14/0.759 है. 15/0.228 है. 17 ता 19/0.759 है. कुल 3.998 है. (3.848 है.क. व 0.150 खाला) भूमि मय खाला दर्ज कागजात है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2062 ता 2065 से साबित है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया कि उक्त भूमि के अलावा वाके चक 32 आर.बी. तहसील पदमपुर में खाता सं. 24 जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 2075 में 1.351 है. भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है। उक्त दोनों खाता की भूमि पैतृक भूमि है जो कि स्वं बुधराम पुत्र श्री मोहकम जाति जाट के नाम से दर्ज कागजात थी उनकी मृत्यु के बाद बुधराम की भूमि में दोनों खाता में प्रतिवादी न. 1 के नाम से आयी है जमाबंदी से भी साबित है। उक्त तमाम भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण का उक्त भूमि में जन्मजात् हक वा हिस्सा बनता है। वादीगण वाके चक 1 के.एस.पी.एम.ए. का खाता सं. 37 की 3.998 है. भूमि को बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। भूमि चक 32 आर.बी. तहसील पदमपुर की पिता के नाम से बदस्तूर रखी जाये तो हमें कोई

लगातार 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

एतराज नहीं है चूंकि चक 32 आर.बी. की भूमि अच्छी किस्म की भूमि है चक 1 के.एस.पी.एम.ए की भूमि कमांड तो है परन्तु रेतीली भूमि है दोनों भूमियों में उपज में अन्तर आता है इसलिये भूमि की किस्म देखते हुये पदमपुर की भूमि पिता के नाम से ही रखी जावें वा चक 1 के.एस.पी.एम.ए. की भूमि वादीगण प्राप्त करना चाहते है इससे प्रतिवादी न. 1 जयलाल को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा वा ना ही एतराज होना चाहिये। वादीगण द्वारा प्रतिवादी न. 1 को उक्त पैतृक भूमि में हिस्सा देने की बाबत कई बार कहा तो उन्होनें टाल मटोल की वा अन्ततः दिनांक 20.07.2019 को मुकाम गांव में कहा कि चक 1 के.एस.पी.एम.ए. की भूमि जिस पर आप का कब्जा काश्त है मेरे पास समय नहीं है जिस पर वादीगण द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, प्रतिवादी न. 1 द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 22.11.2019 को इकबाल दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिस्ल किया गया, प्रतिवादी न. 2 व 3 को जरिये नोटिस सूचना दिये जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं हुये उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादीगण द्वारा वाद पत्र की पुष्टि के लिये शपथ पत्र दिनांक 10.01.2020 को प्रस्तुत किये जिस पर प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गई व प्रतिवादीगण को साक्ष्य का मौका दिया गया उसके बावजूद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी बंद करते हयु मिस्ल बहस हेतू दिनांक 12.02.2020 तय की गई जिस पर अभिभाषक बहस सुनी गई। चुंकि वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा कोई एतराज नहीं होने के कारण तनकीयात् कायम नहीं की गई व पत्रावली तर्क पक्षकार सुनवाई हेतू रखी जाकर तर्क सुने गये।

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पिता जयलाल पुत्र श्री बुधराम के नाम से वाके चक 1 के.एस.पी.एम.ए. का खाता सं. 37 में प.न. 231/43 में कि.न. 3/0.228 है. 4/0.228 है. 5/0.203 है. 6/0.228 है. 7 ता 9/0.759 है. 10 व 11/ 0.456 है. 12 ता 14/0.759 है. 15/0.228 है. 17 ता 19/ 0.759 है. कुल 3.998 है. (3.848 है.क. व 0.150 खाला) भूमि मय खाला दर्ज कागजात है जो कि दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये है। इसके अलावा चक 32 आर.बी. तहसील पदमपुर में खाता सं. 24 जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 2075 में 1.351 है. भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है जो कि पैतृक भूमि है जिसमें भी वादीगण का जन्मजात् हक वा हिस्सा बनता है वादीगण चक 1 के.एस.पी.एम. ए. का खाता सं. 37 की 3.998 है. भूमि को बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है जिसे वे जरिये घोषणात्मक वाद पत्र प्राप्त करना चाहते है तथा चक 32 आर.बी. तहसील पदमपुर की भूमि जो कि पैतृक भूमि है व पिता के नाम से दर्ज है उसे पिता के नाम से रहने दिया जावें तो हमें कोई एतराज नहीं है। वादीगण इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से

लगातार 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

दर्ज करवाना चाहते है, वाद को साक्ष्य के आधार पर पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताया व वाद वादी स्वीकार कर वाद अनुसार डिक्री करने की प्रार्थना की साथ ही निवेदन किया की रहन का नोट यथावत् रहे तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा।

पैरोकार राज द्वारा दौराने बहस बताया कि मुताबिक रिकॉर्ड भूमि पैतृक है पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है तो राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र का निस्तारण किया जावें, राज्य पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि उक्त भूमि पर जयलाल द्वारा ऋण लिया गया है भूमि रहन है, ऋण चुकता होने पर ही भूमि वादीगण के नाम से दर्ज हो सकती है।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया जिसमें यह पाया कि वादीगण के पिता जयलाल पुत्र श्री बुधराम के नाम से वाके चक 1 के.एस.पी.एम.ए. का खाता सं. 37 में प.न. 231/43 में कि.न. 3/0.228 है. 4/0.228 है. 5/0.203 है. 6/0.228 है. 7 ता 9/0.759 है. 10 व 11/0.456 है. 12 ता 14/0.759 है. 15/0.228 है. 17 ता 19/ 0.759 है. कुल 3.998 है. (3.848 है.क. व 0.150 खाला) खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2062 ता 2065 के खाता सं. 37 में लगे अंकन से भी यह साबित होता है कि तुलछी देवी पत्नी श्री बुधराम, जानी देवी, मनोहरी देवी व विरेन्द्र कुमार पुत्र/पुत्रियॉ बुधराम के द्वारा किये गये हकत्याग से भूमि जयलाल के पक्ष में आयी जिससे यह साबित होता है कि भूमि पैतृक है। इसके अलावा जयलाल खुद के द्वारा प्रस्तुत इकबालदावा से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि भूमि पैतृक है व उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी जावें तो प्रतिवादी न. 1 को कोई एतराज नहीं होगा। प्रतिवादी न. 1 के नाम से चक 32 आर.बी. तहसील पदमपुर के खाता सं. 24 में 1.351 है. खातेदारी भूमि है वादीगण द्वारा इस भूमि में हक व हिस्सा हेतू कोई क्लेम नहीं किया है तथा यह भूमि पिता के नाम से रहने दी जावें, चक 1 के.एस.पी.एम.ए. की भूमि में वादीगण को बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 हिस्से की घोषणा चाही है। पैतृक भूमि होने के फलस्वरूप वादीगण का उक्त भूमि में जन्मजात् हक वा हिस्सा बनता है। वाद वादी पूर्ण रूप से सिद्ध होना पाया जाता है पक्षकारान ने आपसी रजामंदी से कुल भूमि में अपना हिस्सा घोषित कराने की मांग की है इसी अनुसार वाद स्वीकार करते हुये चक 1 के.एस.पी.एम.ए. का खाता सं. 37 में प.न. 231/43 में कि.न. 3/0.228 है. 4/0.228 है. 5/0.203 है. 6/0.228 है. 7 ता 9/0.759 है. 10 व 11/0.456 है. 12 ता 14/0.759 है. 15/0.228 है. 17 ता 19/ 0.759 है. कुल 3.998 है. (3.848 है.क. व 0.150 खाला) खातेदारी भूमि में वादीगण गजेन्द्र व राकेश पुत्र श्री जयलाल जाति जाट निवासी 31 आर.बी. फकीरांवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को प्रत्येक को बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है व प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने योग्य है। प्रतिवादी न. 1 को चक 32 आर.बी. तहसील

लगातार 4 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

पदमपुर में 1.351 है. भूमि यथावत् खातेदारी रखी जाती है उसमें वादीगण चुंकि चक 1 के.एस.पी.एम.ए. तहसील सूरतगढ़ में हिस्सा ले चुके है इसलिये चक 32 आर.बी. की पैतृक भूमि में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। प्रतिवादी न. 3 के पक्ष में किये गये रहन राशि का नोट यथावत् रहेगा ओर यह राशि वादीगण से वसूली योग्य होगी।

अतः वाद वादी उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार की जाकर चक 1 के.एस. पी.एम.ए. का खाता सं. 37 में प.न. 231/43 में कि.न. 3/0.228 है. 4/0.228 है. 5/0.203 है. 6/0.228 है. 7 ता 9/0.759 है. 10 व 11/0.456 है. 12 ता 14/0.759 है. 15/0.228 है. 17 ता 19/ 0.759 है. कुल 3.998 है. (3.848 है. क. व 0.150 खाला) खातेदारी भूमि में वादीगण गजेन्द्र व राकेश पुत्र श्री जयलाल जाति जाट निवासी 31 आर.बी. फकीरांवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को प्रत्येक को बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व प्रतिवादी न. 1 का नाम उक्त खाते से कलमजन कर वादीगण का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है बाद अंकन रहन का नोट यथावत् रहेगा व बैंक ऋण वादीगण द्वारा देय होगा उक्तानुसार ऋण वसूल ना होने पर पूर्व अंकन अनुसार बैंक ऋण भूमि से वसूली योग्य होगा। आदेश सुनाया गया डिक्री जारी हो, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. गजेन्द्र
2. राकेश

} पुत्रगण श्री जयलाल जाति जाट निवासी चक 31 आर.बी. फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

.....वादीगण

बनाम

1. जयलाल पुत्र श्री बुधराम जाति जाट (भादू) निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 आर.टी.ए. 1955 मुकदमा न. 126 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री अशोक कुमार छाबड़ा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी सिद्ध होने पर डिकी किया जाता है ओर आदेश दिया जाता है कि तहसील सूरतगढ़ के चक 1 के.एस.पी.एम.ए. का खाता सं. 37 में प.न. 231/43 में कि.न. 3/0.228 है. 4/0.228 है. 5/0.203 है. 6/0.228 है. 7 ता 9/0.759 है. 10 व 11/0.456 है. 12 ता 14/0.759 है. 15/0.228 है. 17 ता 19/ 0.759 है. कुल 3.998 है. (3.848 है.क. व 0.150 खाला) खातेदारी भूमि में वादीगण गजेन्द्र व राकेश पुत्र श्री जयलाल जाति जाट निवासी 31 आर.बी. फकीरांवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को प्रत्येक को बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व प्रतिवादी न. 1 का नाम उक्त खाते से कलमजन कर वादीगण का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है, रहन का नोट यथावत रहेगा जो वादीगण से वसूली योग्य होगा न चुकाये जाने पर भूमि से रहन अनुसार वसूली योग्य होगा। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12.2.20 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.20 11:47:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: